भारत सरकार - यू एन डी पी आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम

शहरी भूकंप अरक्षितता न्यूनीकरण परियोजना

(5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले भूकंप जोन 3,4,5 में स्थित 38 शहर)

आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की भूमिका

जी ओ आई-यू एन डी पी आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम,भारत के कुछ सर्वाधिक संकट संभावित जिलों (169 जिले और 17 राज्य)में समुदायों की अरक्षितता कम करने की पहल है | इस कार्यक्रम (2002-2007) का उद्देश्य राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास लक्ष्यों में योगदान देना है ताकि उन्हें, विकास के लाभों में होने वाली हानि को न्यूनतम करने में समर्थ बनाया जा सके और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति इनकी अरक्षितता कम की जा सके | आपदा प्रबंधन के संबंध में यह कार्यक्रम समुदाय आधारित उपागम पर निर्भर करता है और संगठित तरीके से सभी स्तरों पर समुदायों, सरकारी पदाधिकारियों तथा सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन में अन्य हिस्सेदारों को सक्षम बनाना चाहता है | उद्देश्यों, प्रसार, कार्यों आदि संबंधी ब्योरों के लिए कृपया कार्यक्रम दस्तावेज का अवलोकन करें या www.undp.org.in पर जाएँ | गृह मंत्रालय कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कार्यान्वयक(निष्पादक)एजेंसी है जिसे यूएनडीपी कंट्री ऑफिस द्वारा सहायता दी जाती है |

कार्यक्रम के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:

राज्य तथा जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं का विकास |

- ग्राम/वार्ड,ग्राम पंचायत,ब्लॉक/शहरी स्थानीय निकाय स्तरों पर आपादा जोखिम प्रबंधन तथा अनुक्रिया योजनाओं का विकास |
- सभी समितियों और टीमों में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व सहित सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन टीमों (डीएमटी) तथा आपदा प्रबंधन समितियों (डीएमसी) का गठन व प्रशिक्षण |(ग्राम/वार्ड, ग्राम पंचायत, ब्लॉक /शहरी निकाय, जिला तथा राज्य)| ग्राम स्तर पर डीएमटी, आपदा प्रबंधन के विविध पहलुओं पर कार्य करने वाले अनेक ग्राम कार्यदलों को मिलाकर बनाती है |
- समस्त स्तरों पर डीएमटी का क्षमता निर्माण |

- ❖ प्राथमिक उपचार,आश्रय प्रबंधन, जल और स्वच्छता, बचाव तथा निष्क्रमण आदि में महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण |
- ❖ आपदा संभावित जिलों में मकानों के लिए चक्रवात व भूकंपरोधी विशेषताओं में क्षमता निर्माण,अनुरूपांतर(रेट्रोफिटिंग) में प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन इकाइयों का निर्माण |
- ❖ स्थानीय स्वशासनों की विकास योजनाओं के साथ आपदा प्रबंधन योजनाओं का एकीकरण |
- ❖ देश भर में समस्त स्तरों पर प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण व आपदा प्रबंधन को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करना |

शहरों में भूकंप अरक्षितता न्यूनीकरण के संबंध में उपघटक की पृष्ठभूमि

भारतीय उपमहाद्वीप के प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आने की संभावना अत्यधिक रहती है | बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूकंप यहाँ प्राय: आते रहते हैं | भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) द्वारा निकाले गए नवीनतम भूकंप जोनिंग मैप के अनुसार देश का 65 प्रतिशत से अधिक भाग एम एस के VII या इससे अधिक की तीव्रता वाले भूकम्पों की चपेट में आने के सम्भावना बनी रहती है |

विश्व के कुछ सर्वाधिक तीव्र और प्रबल भूकम्प भारत में आएं हैं किन्तु संयोग की बात है कि इनमें से कोई बड़ा भूकंप किसी महानगर में नहीं आया है| राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित भारत में अत्यधिक घनी आबादी वाले अनेक शहर हैं,जो उच्च भूकंप जोखिम वाले जोनों में स्थित हैं | प्रारूपिक तौर पर इन शहरों में अधिकांश निर्माण भूकम्परोधी नहीं है | अत: इन शहरों में से किसी में यदि कोई भूकम्प आता है तो वह बड़ी आपदा सिद्ध होगा | मध्यम से दीर्घावधि में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि इनमें से किसी शहर में आने संभावित भूकम्प के प्रति अरक्षितता कम करने और इस सम्भावित भूकम्प से होने वाली हानि को कम करने के लिए कार्य नीतियाँ तैयार की जाएँ | गत 15 वर्षों में भारत के विभिन्न भागों में 6 बड़े भूकम्प आ चुके हैं | इन भूकम्पों से जो क्षति पहुँची है वह अरक्षितता के परिमाण पर पुन: बल देती है तथापि यदि इनमें से कोई भी भूकम्प घनी आबादी वाले शहरी केन्द्रों में आया होता तो मानव जीवन और संपत्ति की बहुत अधिक हानि होती |

बार-बार आने वाली आपदाओं से विकासगत लब्धियों का ह्रास होता है और आपदा पीड़ितों के लिए सीमित विकल्प रह जाते हैं | शारीरिक सुरक्षा-विशेष रूप से अरक्षित समूहों की शारीरिक सुरक्षा संकटों के कारण खतरे में पड़ जाती है |गुजरात में आए भूकम्प जैसी

आपदाओं ने अत्यंत स्पष्ट रूप से यह दर्शा दिया है कि हमें शमन, तैयारी और अनुक्रिया योजनाएं चाहिए ताकि मानव जीवन व संपत्ति को होने वाले खतरे को कम किया जा सके |

II परियोजना

इस परियोजना का लक्ष्य भारत के 38 शहरों में समुदायों, शहरी स्थानीय निकायों और प्रशासन की शमन,तैयारी तथा अनुक्रिया संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना है | इन शहरों का चुनाव इनके भूकम्प जोन 3, 4 या 5 में स्थित होने तथा 5 लाख से अधिक की आबादी होने के मानदंड के आधार पर किया गया है |यह परियोजना, सभी स्तरों पर भूकम्प जोखिम प्रबंधन पहलों को शामिल करने के लिए और भारत में सर्वाधिक भूकम्प संभावित शहरी क्षेत्रों में भूकंप के जोखिम को कम करने के लिए एक उपयुक्त मॉडल प्रस्तुत करेगी |

चयनित शहरों में शहरी योजना संस्थाएं और एजेंसियां आयोजना प्रक्रिया में सीधे शामिल होंगी ताकि इन प्रयासों की निरंतरता को सुनिश्चित किया जा सके । आयोजना प्रक्रिया के दौरान तथा क्षमता निर्माण घटक में, इस परियोजना में महिलाओं के व्यापक प्रतिनिधित्व की परिकल्पना की गई है, उन्हें न केवल आपदा की स्थिति के लिए तैयार किया जाएगा बल्कि आपदा प्रबंधकों के रूप में कार्य करने के लिए और आपदाओं में महिलाओं की विशेष जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी तैयार किया जाएगा । यह परियोजना राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संबंधित सरकारी विभागों और संस्थाओं के साथ मिलकर चलाई जाएगी । इस पहल से ली गई सीख को भारत सरकार के राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भी अपनाया जाएगा और इससे सरकार के सभी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण को भी शामिल करने में मदद मिलेगी|

आई एस 1893-भाग I :2002,भारत के भूकंप जोनों का मानचित्र

इस परियोजना में निम्नलिखित व्यापक घटकों परिकल्पना की गई है

1. लोगों को जागरूक बनाना |

2. समुदायिक तथा प्रशासनिक स्तरों पर तैयारी और अनुक्रिया योजनाओं का विकास|

3. राज्यों के लिए एक तकनीकी-कानूनी व्यवस्था का विकास|

4. सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण और

5. कार्यक्रम में सभी शहरों और शहरी केंद्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के संबंध में ज्ञान नेटवर्किंग ।

भाग II क: लक्ष्य और उद्देश्य

लक्ष्य: भारत के चुनिंदा राज्यों में कुछ सर्वाधिक संकट संभावित जिलों में आपदा जोखिम में सतत कमी |

संकेतक: इस लक्ष्य की प्राप्ति के संकेतक इस प्रकार होंगे :

- आपदा के बाद तेजी से रिकवरी (सामान्य स्थिति बहाली) किए जाने से जोखिम में कमी ।

-आपदा शमन और विकास लब्धियों की सुरक्षा ।
-आपदा जोखिम विचारों को मुख्यधारा में लाना ।
-आपदा की तैयारियों में स्त्री-पुरूष समानता।

उद्देश्य 1: सरकारी पदाधिकारियों, तकनीकी संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, सीबीओ और समुदायों में भूकंप जोखिम और संभव निवारक कार्रवाई के बारे में **लोगों को जागरूक बनाना** ।

उद्देश्य 2: भूकंप की तैयारियों और अनुक्रिया की योजना का विकास और संस्थागत रूप देकर तथा मॉक ड्रिल के माध्यम से इनका अभ्यास |

उद्देश्य 3: अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित निर्माण और प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचे (तकनीकी-कानूनी व्यवस्था) का विकास ।

उद्देश्य 4: सरकारी पदाधिकारियों और पेशेवरों (इंजीनियरों और वास्तुविदों)द्वारा प्रमाणीकरण के लिए क्षमता निर्माण |

उद्देश्य 5: आपातकालीन प्रचालनों के लिए संसाधनों की सूची वाली सूचना प्रणालियों के सृजन सहित प्रभावी भूकंप जोखिम प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और साधनों पर ज्ञान नेटवर्किंग ।

परिकल्पित कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

<u>उद्देश्य I के तहत कार्यकलाप</u> : <u>जागरूकता पैदा करना</u>

1. राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारों, नगर विकास प्राधिकारियों, यूएलबी, एनजीओ, प्रशिक्षण संस्थानों, इंजीनियरों,आर्किटेक्ट,रियल एस्टेट फर्मों ,बिल्डरों,ठेकेदारों आदि के साथ नगर-विशिष्ट भूकम्प जोखिम प्रबंधन व शमन नीतियों पर परामर्श |

2. नगर-विशिष्ट जागरूकता अभियान कार्यनीतियां तैयार करना |
3. निम्नलिखित के लिए जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम:-
   -स्वैच्छिक संगठनों और छात्रों के लिए भूकंप प्रबंधन और शमन पर |
   -कार्यशालाओं / सेमिनारों / प्रशिक्षण, मीडिया के माध्यम से समुदाय के उपयोग के लिए तथा समुदाय के लिए मीडिया का प्रयोग (रेडियो / टीवी / आम पत्रिकाओं में लेख/स्थानीय भाषाओं में पोस्टर / पत्रक और भूकंप के जोखिम प्रबंधन दिवस / सप्ताह का आयोजन)|
   - स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों पर दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, मॉक ड्रिल आदि के माध्यम से |
   -इंजीनियरों / आर्किटेक्ट की संस्थाओं, अचल संपत्ति बाजार में हितधारकों, भवन निर्माता संघों, ठेकेदारों के संघों आदि के लिए कार्यशालाओं और अभिविन्यास कार्यक्रमों के माध्यम से |

4. निम्नलिखित के संबंध में 'रेडी रेकनर' और उपयोगकर्ता के अनुकूल मैनुअल तैयार करना :-

- भूकंप प्रतिरोधी घरों / रेट्रोफिटिंग का डिजाइन और निर्माण |
- भूकंप जोखिम प्रबंधन और प्रतिक्रिया योजनाएं।
- सटीक चेतावनी का प्रसार, खोज और बचाव अभियान, प्राथमिक चिकित्सा, सेवाओं की बहाली - पानी और साफ-सफाई, आश्रय प्रबंधन, सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली तथा त्वरित अनुक्रिया के लिए परामर्श सेवा तथा क्षति मूल्यांकन,संकट के दौरान राहत सामग्री का समुचित उपयोग व बेहतर समन्वय |
- उपयुक्त रेट्रोफिटिंग तकनीकों का प्रलेखन और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करना, सम्मेलन कार्यवाही और लोकप्रिय पत्रिकाओं में लेख ।
-राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन|

<u>उद्देश्य - II के तहत कार्यकलाप: भूकंप से निपटने की तैयारी की योजना</u>

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर नोडल एजेंसियों और भागीदारों की पहचान और नेटवर्किंग।

- संबंधित सरकारी विभागों वरिष्ठ नागरिकों, सहित शहर और वार्ड स्तर पर आपदा प्रबंधन टीमों का गठन [डीएमटी]। राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) / राष्ट्रीय सामाजिक सेवा (एनएसएस), रोटरी और लायंस क्लब, भागीदारियों (दिल्ली) / नगर नागरिक समितियों / निवासी कल्याण संघों, निर्वाचित सदस्यों, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के अन्य अनुक्रिया समूहों सहित नगर और वार्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन टीमों (डीएमटी)का निर्माण|
- नगर और वार्ड स्तर की भूकंप तैयारियों और अनुक्रिया योजनाओं का विकास।
- आपातस्थितियों के दौरान त्वरित अनुक्रिया के लिए सभी स्तरों पर संसाधनों की एक सूची तैयार करना गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए जा रहे भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) पोर्टल के साथ संपर्क सूत्र स्थापित करना ।

- वार्ड से नगर के स्तर तक अनुक्रिया संरचना का विकास।
- वार्ड और नगर स्तर पर आपदा प्रबंधन टीमों [डीएमटी] का विशेष प्रशिक्षण ।
- राष्ट्रीय, नगर और वार्ड-सभी स्तरों पर तैयारी की कवायद या अभ्यास |
- **<u>उद्देश्य III के तहत कार्यकलाप : एक विकासशील तकनीक-कानूनी ढांचा तैयार करना</u>**
- सुरक्षित निवास के निर्माण के लिए बिल्डरों, प्रमोटरों तथा रियल एस्टेट डेवलपरों के पंजीकरण और विनियमन के लिए कानून लागू करने के लिए नीति निर्माताओं का अभिविन्यास ।

- शहरी स्थानीय निकायों में सरकारी अधिकारियों का अभिविन्यास - विकास प्राधिकरण / नगर पालिकाओं / नगर आयोजना विभागों / आवास समितियों / आवास बोर्ड आदि के अधिकारियों का भूकंप संकट,जोखिम मूल्यांकन और संभव शमन उपायों के संबंध में अभिविन्यास |
- सुरक्षित भवन प्रणालियों की नगर-विशिष्ट लेखापरीक्षा के लिए प्रणालियां तैयार करना |
- राष्ट्रीय और शीर्ष निकायों में राज्य स्तर पर अधिकार संरचना समितियों का गठन ताकि जोनिंग विनियमों, भवन निर्माण संहिताओं तथा उप विधियों और विनियामक तंत्रों को राष्ट्रीय,राज्य तथा नगर स्तरों पर (नवविकसित क्षेत्रों,नगर के पुराने 'महत्वपूर्ण' क्षेत्रों व झुग्गी बस्तियों) भूकंप अरक्षितता कम करने के लिए पुनरीक्षित किया जा सके |

- सभी प्रैक्टिशनरों के बीच सक्षमता के मानक स्तर निर्धारित करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे इंजीनियरों और आर्किटेक्ट के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए एक रूपरेखा बनाना।

- गृह मंत्रालय द्वारा गठित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की समिति के माध्यम से इंजीनियरों और आर्किटेक्ट के अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना ।

-सुरक्षित भवन निर्माण उप-विधियों तथा निर्माण प्रणालियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय /राज्य लोकपाल के संस्थागत ढांचे का निर्माण करना |

-ऋण देते समय व नीतियाँ बनाते समय नए तथा मौजूदा निर्माणों के विस्तार में आपदा रोधी विशेषताएँ सुनिश्चित करने के लिए पद्धतियों का निर्धारण करने हेतु वित्तीय संस्थाओं और बीमा एजेंसियों के साथ परामर्श व भागीदारियां |

-भूकंप जोखिम प्रबंधन पर राष्ट्रीय तथा राज्य नीति के संवर्धन के लिए जोखिम तथा अरक्षितता विश्लेषण करने के लिए डिजाइन समर्थन प्रपत्रों के बतौर अरक्षितता डाटाबेस का प्रयोग करना |

उद्देश्य IV के अंतर्गत कार्यकलाप : क्षमता निर्माण

- जागरूकता पैदा करने,शमन उपायों तथा तैयारी योजनाओं के विकास में इंजीनियरी के छात्रों तथा आर्किटेक्टों की क्षमताओं का निर्माण |

- भूकम्प जोखिम प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन संस्थाओं के बतौर स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना |

- राष्ट्रीय तथा राज्य सरकार के पदधाकारियों,विकास प्राधिकरणों के पदधाकारियों, यूएलबी, एनजीओ, प्रशिक्षण संस्थाओं, निजी क्षेत्रों (रियल एस्टेट फर्मों,बिल्डर,ठेकेदारों आदि) के लिए समुदाय आधारित भूकम्प जोखिम प्रबंधन व अनुक्रिया योजनाओं के विकास की प्रक्रिया में प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास कार्यक्रम |

प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियरी विभागों (जैसे पीडब्ल्यूडी, एमईएस तथा शहरी विकास प्राधिकरणों) के चुनिन्दा इंजीनियरों का मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यक्रम-राष्ट्रीय भूकंप इंजीनियरी शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईईई)के सहयोग से भूकंपरोधी निर्माणों,संहितापरक प्रावधानों, सुरक्षा मूल्यांकन तकनीकों,रेट्रोफिटिंग आदि के संबंध में प्रशिक्षण |

- राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान /ज्ञान हब के माध्यम से भूकंप अरक्षितता पर तकनीकी सहायता ,प्रशिक्षण व आवधिक मूल्यांकन प्रदान करना |

- आपदा तैयारी तथा अनुक्रिया में इस क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा त्वरित अनुक्रिया टीमों (क्यूआरटी)का गठन तथा क्षमता निर्माण|

- मौजूदा भूकंप तैयारी तथा अनुक्रिया योजनाओं के पुनरीक्षण के लिए राष्ट्रीय तथा नगर स्तरों पर अनुसंधान / संसाधन संस्थाओं के साथ भागीदारियाँ |

- क्षमता निर्माण तथा प्रौद्यिगिकी अंतरण के लिए प्रत्येक नगर में एक अनुसंधान केंद्र के निर्माण/विकास के लिए सहायता |

- संकट,सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण और भूकंप तैयारी तथा अनुक्रिया योजनाओं के विकास के लिए निवासी कल्याण संघों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम |

- आपात स्थितियों से निपटने के लिए घटना समादेश प्रणाली के विकास में नीति निर्माताओं तथा स्थानीय स्वशासनों का संवेदीकरण व प्रशिक्षण |

उद्देश्य V के अंतर्गत कार्यकलाप : नेटवर्किंग

-भूकंप अरक्षितता न्यूनीकरण पहलों के संबंध में ज्ञान सहभाजन, अंतरनगरीय सहयोग के संबंध में एक वेब आधारित पोर्टल तैयार करना जो नगर के प्रतिनिधियों, परियोजना समन्वयकों व राष्ट्रीय सलाहकारों के लिए शहरी भूकंप जोखिम तथा जोखिम प्रबंधन के बारे में अनुभव साझा करने व सीखने का एक फोरम है ताकि कार्यक्रम में शामिल प्रैक्टिशनरों को परस्पर जोड़ा जा सके |

-प्रत्येक नगर के लिए भूकंप जोखिम प्रबंधन इंडेक्स के संबंध में अनुसंधान तथा प्रलेखीकरण और इनको साझा करना |

-भूकंप जोखिम प्रबंधन तथा भूकंप तैयारी व अनुक्रिया योजनाओं के संबंध में विभिन्न स्तरों पर डाटाबेस तैयार करना |

- भूकंप जोखिम प्रबंधन के लिए सामर्थ्य निर्धारण तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना |

- जोखिम तथा अरक्षितता सूचियाँ एवं वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना |

- भूकंप जोखिम प्रबंधन के लिए भारत की सर्वोत्तम प्रणालियों का प्रलेखीकरण व इन्हें साझा करना ताकि प्रशिक्षण पाठ्यचर्या के भाग के बतौर इसका व्यापक परिचालन हो सके

-पारस्परिक रूप से सीखने के लिए नगर प्रबंधकों के लिए अंतर-नगरीय प्रभावन दौरे |

III परियोजना कार्यान्वयन नीति

38 जोखिमग्रस्त शहरी केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीओआई - यूएनडीपी, भूकंप जोखिम प्रबंधन के लिए व्यापक कार्यक्रम की परिकल्पना करता है | इस परियोजना में बहुआयामी नीति अपनाई जाएगी :

- प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संसाधन संस्थाओं को समर्थन सहित समुदाय और शहरी स्थानीय निकायों की तैयारियों और अनुक्रिया में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करने में राष्ट्रीय सरकार [गृह मंत्रालय] के प्रयासों को सहायता प्रदान करना ।

- भूकंप जोखिम प्रबंधन के लिए प्रशासनिक, संस्थागत, वित्तीय और तकनीकी-कानूनी तंत्रों को सुनिश्चित करने में राज्य और स्थानीय स्व शासनों को सुकर बनाना ।

-जोखिमग्रस्त समुदायों को सर्वाधिक अरक्षित शहरी क्षेत्रों में व्यापक भूकम्प जोखिम प्रबंधनों में कार्यरत होने के लिए सशक्त बनाना |

भूकंप जोखिम प्रबंधन पर संरचनात्मक व गैर-संरचनात्मक उपायों के माध्यम से ध्यान दिया जा सकता है | संरचनात्मक उपाय आपदाओं के प्रभाव को कम करेंगे और गैर-समुदाय संरचनात्मक उपाय प्रबंधन कौशलों का संवर्धन करेंगे और समुदाय,स्थानीय स्वशासनों, शहरी निकायों तथा राज्य प्राधिकरणों की आपदाओं के संबंध में तैयारी करने,इनका निवारण करने और प्रभावी रूप से अनुक्रिया करने के लिए क्षमताओं को बेहतर बनाएंगे | गैर-संरचनात्मक उपाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और इनमें अरक्षितता मानचित्रण, जोखिम निर्धारण विश्लेषण,संकट जोनिंग आपातस्थिति से निपटने के लिए संसाधनों की सूची,सर्वोत्तम प्रणालियों की ज्ञान नेटवर्किंग आदि शामिल है |

शहरी भूकंप जोखिम अरक्षितता न्यूनीकरण परियोजना 4 वर्ष की समयावधि के लिए है और निर्णय निर्माताओं तथा जनमानस में उनके अपने क्षेत्र में सम्भाव्य भूकंप जोखिम के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा जोखिम संभावित समुदायों की बेहतर तैयारी में सहायता करके विकास लब्धियों को होने वाली हानियों को न्यूनतम करना इसका विशेष लक्ष्य है |

IV कार्यक्रम के परिणाम

- राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय में संवर्धित क्षमताएं |
- देश के सर्वाधिक अरक्षित शहरी केन्द्रों में भूकम्प जोखिम प्रबंधन के लिए प्रशासानिक तथा संस्थागत ढांचा |

- राष्ट्रीय, राज्य, जिला, नगर, वार्ड /समुदाय स्तर पर भूकंप जोखिम प्रबंधन में क्षमता निर्माण जिसमें संसाधन संस्थाओं का सुदृढीकरण और सम्पर्क सूत्र स्थापित करना शामिल है |
- प्रत्येक नगर के लिए भूकंप परिदृश्य दस्तावेज तैयार करना ताकि किसी भूकंप के परिणामों (संभावित क्षति आदि का अनुमान) का पता लगाया जा सके और 38 नगरों के लिए आपातस्थिति आयोजना व तैयारी के प्रयोजानार्थ कार्य योजना तैयार की जा सके |
- 38 नगरों में से प्रत्येक के लिए व्यापक भूकंप जोखिम प्रबंधन ढांचा तथा सामान्य स्थिति बहाली योजनाएं |
- -शहरी स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों में भूकम्प जोखिम के संबंध में जागरूकता |
- कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले नगरों के लिए आपदा संसाधन सूची तैयार की गई |
- यूएलबी में सभी नोडल एजेंसियों के लिए तथा नगर की वेलफेयर एसोसिएशनों के लिए क्षेत्रीय तैयारी योजनाएँ |
- सजग और जानकार समुदाय,छात्र व अध्यापक महत्वपूर्ण सरकारी पदधिकारी ,राजमिस्त्री और इंजीनियरी संस्थाएं, नीति निर्माता आदि |
- प्रैक्टिस कर रहे इंजीनियरों और आर्किटेक्ट के लिए अनिवार्य प्रमाणन पाठ्यक्रम जिसमें विस्तृत पाठ्यचर्या शामिल है |
- इंजीनियरों /आर्किटेक्ट तथा बिल्डरों के लिए सुरक्षित भवन-निर्माण प्रणालियों तथा रेट्रोफिटिंग तकनीकों में प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण |
- प्रैक्टिस कर रहे आर्किटेक्ट/इंजीनियरों/बिल्डरों के बीच सुरक्षित भवन-निर्माण प्रणालियों के बारे में जागरूकता पैदा करना |
- स्कूल के छात्रों में जागरूकता पैदा करने तथा स्कूलों के लिए आपदा निवारण तथा अनुक्रिया में ड्रिलों के लिए कार्यक्रम बनाने के लिए सहायता देना और स्कूल भूकंप सुरक्षा कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा देना |
- समस्त हिस्सेदारों सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित तैयारी अभ्यासों को संस्थागत बनाना |
- भूकंप के पश्चात सामान्य स्थिति बहाली में खोज और बचाव,प्राथमिक उपचार,राहत और पुन:स्थापन कार्यों में सिविल सोसायटी संगठनों सहित समस्त हिस्सेदारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यकलाप |

- महत्वपूर्ण जनोपयोगी इकाइयों का जोखिम विश्लेषण तथा रेट्रोफिटिंग और संसाधन (वित्त,मानवशक्ति आदि)आवश्यकता योजना के लिए इनकी प्राथमिकता तय करना |
- मौजूदा जोनिंग विनियमों, भवन निर्माण विशेषज्ञों का संवेदीकरण |
- उपविधियों आदि के लिए प्रवर्तन तंत्रों की पुनरीक्षा |
- अस्पतालों तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थानों में भूकम्प सुरक्षा के संबंध में निवारक अनुरक्षण नीतियों तथा कार्यों को अपनाना |
- संकटरोधी आवासन के लिए किफायती रेट्रोफिटिंग प्रौद्योगिकियों का प्रसार |
- प्राथमिक उपचार, आश्रय प्रबंधन, खोज और बचाव, अपघात परामर्श आदि में आपदा प्रबन्धकों के रूप में महिलाओं की क्षमता में संवर्धन |
- हिस्सेदारी की बेहतर संबद्धता के लिए ज्ञान नेटवर्क |
- प्राकृतिक आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय व राज्य डाटाबेस तैयार किया गया|
- आवश्यकताओं के आधार पर संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से आबंटित करने के लिए विकास कार्यक्रमों में अरक्षितता न्यूनीकरण का समावेशन |
- ज्ञान सहभाजन और भूकंप अरक्षितता न्यूनीकरण पहलों के संबंध में अंतरनगरीय सहयोग से संबंधित वेब आधारित पोर्टल |

- **कार्यक्रम के अप्रत्यक्ष परिणाम निम्नलिखित हैं:**
- आपदा तैयारी के उपायों में निवेश बढ़ने से आपदा राहत कार्यों पर होने वाले पर खर्च में कमी हुई ।
- समुदाय द्वारा आपदा राहत लागत को साझा करना ।
- तैयारियों के लिए आत्मनिर्भर शहरी स्थानीय निकाय |
- जन जागरूकता और जन प्रतिभागिता में वृद्धि ।
- सूचना तक लोगों की पहुँच बनी |
- अत्यधिक प्रशिक्षित निर्माण कार्मिकों को तैयार किया गया |
- अकादमिक /महत्वपूर्ण संसाधन संस्थानों का सुदृढीकरण |

उक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम समुदायों को उनके शहर में भूकंप के जोखिम का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करके व सक्षम बनाकर गरीबी के स्तर को कम करने में भी अनिवार्य रूप से योगदान करेंगे।

V. कार्यान्वयन व्यवस्थाएं

गृह मंत्रालय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को राज्य नोडल एजेंसियों का चयन करने के लिए सलाह देगा जिसके बाद गृह मंत्रालय सभी नोडल विभागों, चयनित संसाधन संस्थानों तथा यूएलबी की प्रारंभिक राष्ट्रीय परामर्श बैठक की मेजबानी करेगा ताकि कार्य नीतियों को अंतिम रूप दिया जा सके | शहरी स्थानीय निकाय कार्यक्रम क्षेत्रों में तकनीकी-कानूनी व्यवस्था के सृजन के लिए पद्धतियाँ विकसित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु एक

राष्ट्रीय भूकंप सलाहकार को चिह्नित किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 38 प्रमुख शहरों के संबंध में एक वेब आधारित डेटाबेस शुरू किया जाएगा।

राज्य और नगर स्तर पर शुरूआत: परियोजना के तहत आने वाले नगरों के लिए भूकंप इंजीनियर विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी और इन्हें मुख्य सचिव द्वारा अभिचिह्नित नोडल विभागों के साथ जोड़ा जाएगा। नोडल विभाग तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख पदाधिकारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी राज्यों में संवेदीकरण बैठकों का आयोजन किया जाएगा|

। इन बैठकों में कार्यक्रम में शामिल की जाने वाली महत्वपूर्ण संसाधन संस्थानों (केआरआई) के रूप में विकसित की जाने वाली स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों को भी अभिचिह्नित किया जाएगा । संसाधन संस्थानों को नियमपुस्तकें और प्रशिक्षण मॉड्यूल, सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण सामग्री और जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। जोखिम प्रबंधन उपकरणों के उपयोग के संबंध में वरिष्ठ यूएलबी स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ये प्रशिक्षण मॉड्यूल भी तैयार करेंगे । चयनित संसाधन संस्थाएं भागीदारी में कार्य करेंगी और वार्ड आधारित भूकंप जोखिम प्रबंधन के विकास में तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं वाली सेवाओं के लिए अनुक्रिया योजनाएं तैयार करने में भूकंपरोधी निर्माण के प्रयोग सहित, जोखिम जागरूकता उत्पन्न करने के लिए,सुरक्षा और मूल्यांकन तकनीकों और रेट्रोफिटिंग तथा भूकंप शमन नीतियों के विकास में तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी ।

लोगों को जागरूक बनाना : जागरूकता पैदा करने की कार्यनीतियों में नोडल विभाग के परामर्श से भौगोलिक फोकस का निर्णय, सूत्रपात के लिए किया जाएगा। केआरआई / स्थानीय इंजीनियरी कॉलेजों के छात्रों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तथा केआर आई द्वारा तैयार की गई आईईसी सामग्री का उपयोग रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों और समुदाय को व्यापक स्तर पर संवेदनशील बनाने के लिए किया जाएगा । इन बैठकों को केआरआई के स्टाफ और छात्रों द्वारा सुकर बनाया जाएगा और इसके बाद प्रैक्टिस कर रहे आर्किटेक्ट, बिल्डरों, ठेकेदारों और इंजीनियरों के लिए रेट्रोफिटिंग सहित स्थानीय भूकंपीय जोखिम और संभव शमन उपायों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

जो अन्य जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे उनमें भूकंप के लिए सामुदायिक आकस्मिक योजनाएं शामिल होंगी जिनमें मीडिया विज्ञापनों, जन बैठकों, रैलियों, स्कूल के छात्रों के बीच निबंध, वाद-विवाद ड्राइंग आदि जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्कूल भूकंप जागरूकता कार्यक्रमों, पोस्टरों, पत्रकों आदि का प्रयोग किया जाएगा, यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए एक संसाधन केंद्र की स्थापना की परिकल्पना भी करता है, जो नगर जोखिम प्रबंधन सूचना केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा| शहरी केंद्रों के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराया जाएगा।

भूकंप संबंधी तैयारियाँ और अनुक्रिया योजना समुदाय / वार्ड स्तर से शुरू की जाएंगी और समान आयोजना के माध्यम से उच्चतर स्तर तक अर्थात चुनिंदा नगरों में शहरी स्थानीय

निकायों और नगर के स्तर तक समेकित की जाएंगी । सामुदायिक स्वयंसेवकों के एक संवर्ग का सर्जन किया जाएगा जो चयनित कार्यक्रम शहरी केंद्रों में, वार्ड आधारित भूकंप जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम का निष्पादन करेगा। इन स्वयंसेवकों को समुदाय से चुना जाएगा जिसके लिए एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, स्काउट एवं गाइडों और सिविल डिफेंस आदि जैसे नागरिक समाज संगठनों की मदद से चुना जाएगा |

समुदाय आधारित तैयारियों और अनुक्रिया योजनाओं, अरक्षितताओं और संसाधनों के मूल्यांकन के माध्यम से ये योजनाएँ भूकंप जोखिम निवारण और सामान्य स्थिति बहाली पर ध्यान केन्द्रित करेंगी |आपदा प्रबंधन टीमें (डीएमटी) विभिन्न स्तरों पर गठित की जाएँगी ताकि आपदा से सतत रिकवरी के लिए आपातकाल के दौरान कार्यों का निष्पादन किया जा सके,जैसे नगर पालिका स्तर पर, वार्ड स्तर पर, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन स्तर आदि पर | वार्ड स्तर पर डीएमटी में कार्य-आधारित समूहों में 10-12 सदस्यों का एक समूह शामिल होगा| ये कार्य आधारित समूह होंगे - शीघ्र चेतावनी (ईडब्ल्यू), खोज और बचाव ऑपरेशन (एसआरओ),प्राथमिक चिकित्सा, जल एवं स्वच्छता(एफएडब्ल्यूए), आश्रय प्रबंधन (एस एम), ट्रामा काउंसिलिंग (टीसी) और क्षति आकलन (डीए) समूह। इसी तरह, नगर पालिका स्तर पर डीएमटी का निर्माण किया जाएगा जिसमें जन प्रतिनिधियों,स्थानीय पुलिस जैसी स्थानीय प्रशासनिक प्रणाली के सदस्यों, चिकित्सा अधिकारियों, जूनियर इंजीनियर, राजस्व निरीक्षकों आदि को लिया जाएगा | यू एल बी आयुक्त / अध्यक्ष नगरपालिका के स्तर पर टीम का संयोजक होगा।

भूकंप इंजीनियर विशेषज्ञ,नगर / शहरी केंद्र अनुक्रिया योजना के निर्माण के लिए विभिन्न वार्ड योजनाओं के समेकन को सुकर बनाएगा |योजनाओं को तैयार करने के दौरान संसाधन मानचित्रण प्रक्रियाओं के अंतर्गत संग्रहित किया गया डाटा नगर आपदा संसाधन नेटवर्क में निविष्ट किया जाएगा जिसे अंतत: राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क (एसडीआरएन) तथा भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)के साथ जोड़ा जाएगा |सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ आपातकालीन अनुक्रिया के लिए राज्य तथा जिला स्तरों पर आपदा डाटा बेस तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे |

तकनीकी-विधिक व्यवस्था - प्रत्येक राज्य के लिए तकनीकी-विधिक व्यवस्था तैयार करने के लिए राष्ट्रीय भूकंप सलाहकार गृह मंत्रालय की सहायता करेगा |

राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं के लिए संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा जिसके बाद सभी राज्यों में टेक्नो-विधिक व्यवस्था के विकास के समन्वय के लिए एक शीर्ष निकाय के गठन द्वारा सुगमीकरण किया जाएगा ।

अत: गठित किया गया शीर्ष निकाय, राज्य के शहरी विकास विभाग के साथ मिलकर मौजूदा उप-कानूनों की पुनरीक्षा और प्रवर्तन तंत्रों की समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा । शीर्ष निकाय बिल्डरों, रियलएस्टेट डेवलपरों आदि के पंजीकरण और विनियमन संबंधी प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण करेगा| वृत्तिक इंजीनियरों और आर्किटेक्ट के अनिवार्य प्रमाणन के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन संस्थाएं उत्तरदायी होंगी, जिसका निष्पादन शीर्ष निकाय द्वारा किया जाएगा । भवन निर्माण उप-कानूनों तथा भूकंप संहिताओं के संबंध में प्रवर्तन प्राधिकारियों के निष्पादन की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय 'लोकपाल'/संस्था का गठन करने के लिए भी संस्थागत ढांचा तैयार किया जाएगा ।

इस परियोजना में नगर विशिष्ट निर्माण प्रक्रियाओं की लेखा परीक्षा के लिए प्रणालियां विकसित करने और रेट्रोफिटिंग के लिए विधान तैयार करने तथा कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले समस्त शहरी केंद्रों के लिए एक समय सीमा के भीतर मौजूद भवनों के प्रमाणन की परिकल्पना भी की गई है ।

क्षमता विकास:- राज्य नोडल एजेंसी, यूएनडीपी तथा महत्वपूर्ण संसाधन संस्थाएं विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए विविध क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की एक प्रशिक्षण अनुसूची तैयार करेगा जैसा कि परियोजना में परिकल्पित किया गया है । महत्वपूर्ण संसाधन संस्थाएं विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यचर्या तथा प्रशिक्षण कैलेंडर सभी स्तरों पर तैयार करेंगी । केआरआई का स्टाफ राष्ट्रीय स्तर की संसाधन संस्थाओं और इस फील्ड के विशेषज्ञों की सहायता से आयोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) में स्वयं भी भाग लेगा । इस परियोजना के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय भूकंप इंजीनियरिंग शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईईई) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा । शहर के इंजीनियरी कालेजों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) द्वारा भूकंप इंजीनियरी के संबंध में चलाए जा रहे मध्यम अवधि के पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले शहरी केंद्रों के विकास प्राधिकरणों के प्रमुख सरकारी इंजीनियरों को इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ताकि कार्यक्रम के अंतर्गत पेशेवर इंजीनियरों व आर्किटेक्ट के लिए परिकल्पित अनिवार्य प्रमाणन पाठ्यक्रमों के लिए उन्हें

प्रशिक्षकों के तौर पर तैयार किया जा सके और यूएलबी के साथ भूकंप से सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित किए जा सके । उक्त वर्णित प्रशिक्षण और अनिवार्य प्रमाणन कार्यक्रम महत्वपूर्ण संसाधन संस्थाओं के माध्यम से राज्य व नगर स्तरों पर आरंभ किए जाएंगे । कार्यक्रम क्षेत्र में चुनिंदा इंजीनियरी कालेजों के छात्रों को आईईसी सामग्री तैयार करने और रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों व व्यापक तौर पर समुदाय के लिए जागरूकता अभियान आरंभ करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उनकी क्षमताओं का विकास किया जा सके । राज्य तथा नगर पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि किसी भी संकट की अनुक्रिया के लिए सुपरिभाषित घटना नियंत्रण प्रणाली (आई सी एस) को सुगम बनाया जा सके । नगर आईसीएस और राज्य आईसीएस को जोड़ा जाएगा और गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित आईसीएस का हिस्सा बनाया जाएगा । गृह मंत्रालय देश में आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है ।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ 'खोज और बचाव' जैसे विशेषीकृत क्षेत्रों में और भूकंप अनुक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण घटकों में राष्ट्रीय और राज्य त्वरित अनुक्रिया दलों को प्रशिक्षण देंगे। रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों के प्रमुख सदस्यों को भी जागरुकता अभियानों, भूकंप की तैयारियों व अनुक्रिया योजनाओं से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि सामाजिक अरक्षितता तथा संसाधन मानचित्रण आदि के माध्यम से इन्हें तैयारी करने और अनुक्रिया योजनाएं बनाने के लिए संभावित प्रशिक्षकों के बतौर तैयार किया जा सके । कार्य बलों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसमें क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों के माध्यम से उनको निर्दिष्ट किए गए कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि चेतावनी प्रसार (जागरूकता पैदा करना), क्षति के मूल्यांकन, खोज और बचाव कार्य, आश्रय प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, अपघात परामर्श आदि जैसे अपने दायित्व को कारगर ढंग से निष्पादित कर सकें ।

चूंकि परियोजना, नगरों के बीच सहभाजन व सीखने की क्रिया को संवर्धित करती है व सुगत बनाती है अत: नगर प्रबंधन के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों, कार्य बल के सदस्यों आदि के लिए सर्वोत्तम प्रणाली वाले क्षेत्रों के प्रभावन दौरे भी तय किए जाते हैं । अरक्षितता विश्लेषण, मौजूदा कार्रवाई तंत्र, मौजूदा प्रशासनिक, कानूनी, तकनीकी-विधिक व सांस्थनिक प्रणालियों का पुनरीक्षण व संशोधन विभिन्न स्थानों की उपयुक्तता तथा शहरी केंद्रों की आवश्यकतानुसार राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर नियमित अध्ययन, अनुसंधान व कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से किया जाएगा । प्रशिक्षण नियम पुस्तकें, मानक प्रचालन प्रक्रियाएं तथा सर्वोत्तम

प्रणालियों का प्रलेखीकरण आपदा तैयारी कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण घटक हैं और इन्हें आसानी से अपनाने, विभिन्न स्तरों के लिए प्रतिकृत व साझा करने के लिए विकसित किया जाएगा । महिला डीएमटी को आपदाग्रस्त किसी महिला की विशेष जरूरतों पर आपात स्थिति के दौरान ध्यान देने के लिए कार्य करने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

नोडल एजेंसियां व संसाधन संस्थाएं पूर्व आपदा तैयारी कार्यक्रमों के अनुभव के आधार पर राज्य वार्ड, नगर तथा राज्य आपदा प्रबंधन टीम के लिए प्रशिक्षण नियम पुस्तकें तैयार करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार करने के लिए नियम पुस्तकें तैयार करेंगे तथा सभी स्तरों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एस ओ पी) तैयार करेंगे । फील्ड परीक्षण के बाद नियम पुस्तकें स्थानीय भाषाओं में मुद्रित की जाएंगी । नियम-पुस्तकों के प्रयोग के लिए हिस्सेदारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा कार्यक्रम की प्रतिकृति के लिए इसे व्यापक रूप से परिचालित किया जाएगा । सभी नियम पुस्तकों में आपदा स्थितियों में फंसी महिलाओं के संबंध में बचाव तंत्र का विशेष उल्लेख किया जाएगा और आपदा प्रबंधकों के रूप में महिलाओं की भूमिका का वर्णन भी किया जाएगा ।

जानकारी नेटवर्किंग:- परियोजना के अंतर्गत एक प्रारंभिक कार्य करेगा अलग-अलग नगरों के लिए वेब आधारित डाटा बेस की स्थापना करना और इन डाटा बेसों को नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए एक ढांचा तैयार करना और कार्यक्रम नगरों के बीच नेटवर्किंग जानकारी को प्रोत्साहन देना । नगर आपदा संसाधन डाटा बेस जो कि एक वेब आधारित संसाधन डाटा बेस है, प्रत्येक नगर के लिए तैयार किय जाएगा और इसे राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क के साथ और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जा रहे भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (आई डी आर एन) के साथ भी जोड़ा जाएगा ।

VII. संस्थागत व्यवस्था

राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय : कंट्री कारपोरेशन फ्रेमवर्क संसाधनों से सहायता प्राप्त कार्यक्रम के सुचारू निष्पादन के लिए केंद्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार नोडल एजेंसी होगा । एक कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड (पीएमबी) होगा जिसके अध्यक्ष सचिव, गृह मंत्रालय होंगे, यह बोर्ड एमएचए, डीईए, यूएनडीपी, यूरोपीय आयोग तथा कार्यक्रम में शामिल अन्य दानकर्ता प्रतिनिधियों की प्रतिभागिता के माध्यम से कार्यक्रम को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगा । गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (डी एम) की अध्यक्षता वाली कार्यक्रम संचालन समिति की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होगी जिसमें कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जाएगी ।

- **राज्य स्तर पर निगरानी:** प्रत्येक डी आर एम और गैर-डी आर एम राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य संचालन समिति (एसएससी) आवधिक अंतराल पर कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। समिति में निष्पादन एजेंसियां,कार्यान्वयन एजेंसी और यूएनडीपी शामिल होंगे ।
- प्रभाव आकलन अध्ययन अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों दोनों द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार-यूएनडीपी भी समय-समय पर आंतरिक मूल्यांकन करेंगे।

IX अवधि परियोजना को चार साल की अवधि में [जून 2003 से मई 2007 तक] कार्यान्वित किया जाएगा |

उन 38 शहरों की सूची जिनकी पांच लाख से ज्यादा की आबादी भूकम्प जोन III, IV और V में रहती है

क्र. सं	राज्य	शहर का नाम	जिला	जोन
1	उत्तरांचल	देहरादून	देहरादून	IV
2	दिल्ली	दिल्ली	नई दिल्ली	IV
3	गुजरात	जामनगर	जामनगर	IV
4	गुजरात	राजकोट	राजकोट	III
5	गुजरात	भावनगर	भावनगर	III
6	गुजरात	सूरत	सूरत	III
7	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	मुंबई	III
8	महाराष्ट्र	भिवंडी	ठाणे	III
9	महाराष्ट्र	नासिक	नासिक	III
10	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	III
11	उड़ीसा	भुवनेश्वर	खुर्दा	III
12	उड़ीसा	कटक	कटक	III
13	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई	III
14	बिहार	पटना	पटना	IV
15	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	वर्धमान	III
16	असम	गुवाहाटी	कामरूप	V
17	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा	III
18	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	III

19	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	III
20	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	III
21	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी	III
22	उत्तर प्रदेश	बरेली	बरेली	III

(जारी)

उन 38 शहरों की सूची जिनकी पांच लाख से ज्यादा की आबादी
भूकम्प जोन III, IV और V में रहती है

क्रम सं	राज्य	शहर का नाम	जिला	जोन
23	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ	IV
24	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ	III
25	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर नगर	III
26	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता	III
27	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	श्रीनगर	V
28	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	जम्मू	IV
29	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर	III
30	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर	III
31	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर	IV
32	पंजाब	जालंधर	जालंधर	IV
33	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	कृष्णा	III
34	झारखंड	धनबाद	धनबाद	III
35	कर्नाटक	मंगलौर	दक्षिण केनरा	III
36	केरल	कोच्चि	एर्नाकुलम	III
37	केरल	कोझिकोड	कोझिकोड	III
38	केरल	त्रिवेंद्रम	त्रिवेंद्रम	III

- भवन निर्माण सामग्री संवर्धन और प्रौद्योगिकी परिषद (बीएमटीपीसी), भारत सरकार, यूएनडीपी और गृह मंत्रालय द्वारा तैयार सुरक्षा जोखिम एटलस के अनुसार भारत के भूकंपीय जोनों का आई एस 1893(भाग 1): 2002 मानचित्र और अन्य कारक |